

11/2/23

पत्रावली लोक अदालत के विषय प्रस्तुत हुई
वकील पत्रकारान्त उपस्थित। प्रा. पत्र पर बहस सुनी
गई। पत्रावली, पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेज व
व्याय के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया
वहस पर मनन किया गया। इसके उपरान्त प्रा. पत्र
अंतर्गत धारा 111, 128 यू. राज. अधि., 1956
साबित होने पर स्वीकार किया गया। यह विषय सु
न्यायालय में सुनाया गया। विस्तृत विषय पृष्ठा में
टंकित करवाया जाकर शा. क्रि. किया गया। इस हेतु
तहसीलदार, फुलरा में तहरीर जारी है। पत्रावली
फैसल शुमार हो दर्ज नंतर से मम होकर दखिल
दफतर हो।

11/2/23
उपरवाड अधिकारी
साँभर लेक

